यायावर समुदाय , पशुपालक और वनाधिकार कानून

भारत सरकार द्वारा गठित वनाधिकार कानून–2006 की संयुक्त समीक्षा समिति के समक्ष देश के वनों में आदिकाल से घुमन्तू जीवन व्यतीत करते हुये रहते चले आ रहे यायावर समुदायों ने भी अपनी समस्याओं को रखा। देश में यायावर या घुमन्तु जनजातियों की संख्या हालांकि पहले से काफी कम रह गई है, लेकिन फिर भी इस तरह के समुदाय देश के कई हिस्सों में बड़ी तदाद में पाये जाते हैं। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व हिमाचल में वनगूजर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरपद्रेश में भेड़–बकरी आदि का पालन करने वाले गद्दी, हिमाचल प्रदेश में किन्नौरा, राजस्थान में रायका,सिक्किम में भूटिया समुदाय व लम्बाडा, यानादी और युरोकुला आंध्र प्रदेश में, आदि।
केन्द्रीय समिति के सदस्य देश के तमाम प्रांतों में रहने वाले यायावरी समुदायों से नहीं मिल सके, चूंकि छः माह के सीमित काल में इन सभी से मिलना काफी असंभव था। फिर भी समिति का यह प्रयास रहा कि अपने इस अल्पकालीन दौरे में सामने आने वाले ऐसे सभी लोगों से बात करके देश के तमाम यायावरी समुदायों की दिक्कतों के बारे में एक समझ बना सके। समिति के सदस्य इस तरह के जितने भी लोगों के साथ मिल पाये उनके द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर यह रिपोर्ट व सुझाव प्रस्तुत हैं।

समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों में किये गये दौरे के दौरान निम्न यायावरी समुदायों से बातचीत की गयीः–
1, **वनगूजर समुदाय, उत्तराखंड़, हिमाचल प्रेदश व उत्तरपद्रेश**
2. गद्दी समुदाय, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड
3. किन्नौरा समुदाय, हिमाचल प्रदेश
4. रायका समुदाय, राजस्थान
5. भूटिया समुदाय, सिक्किम
6. लम्बाडा, यानादी और युरोकुला आंध्र प्रदेश (इन समुदायों के विषय में यक्शी संस्था ने लिखित प्रस्तुतिकरण भेजा है जो संलग्न है)
7. मालधारी समुदाय, गुजरात

यायावरी समुदायों का संक्षिप्त इतिहास

यायावर समुदाय देश की प्रचानीतम जनजातियों में से एक हैं। जिनकी जीवन शैली अभी भी घुमन्तु है। देखा जाये तो भारत देश में स्थाई कृषि आर्यों के आने के बाद शुरू की गयी, उससे पहले लोगों का जीवन मुख्यतः घुमन्तु ही था और भोजन की आवश्यकतायों को वनों में कंद मूल खा कर व घास की विभिन्न प्रजातियों के बीजों को संजो कर ही पूरा किया जाता था। देश में अभी भी ऐसे कई जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां के समुदायों की मुख्य फसल गेहुं और धान न होकर ऐसे खाद्यान हैं, जो कि बिना पानी पथरीली ज़मीन पर थोड़ी मेहनत करने से ही पैदा हो जाते हैं। यायावर समुदाय जैसे वनगूजर, गद्दी, किन्नौर आदि समाज की अंतिम कतार में खड़ी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी भी अपना जीवन एक यायावर के रूप में बिताने का संघर्ष कर रही हैं। लेकिन पिछले कई वर्षो में इनके घुमन्तु जीवन में काफी बदलाव देखा गया है। जिससे करीब 50 फीसदी से भी अधिक इन समुदायों का घुमन्तु जीवन प्रभावित हुआ है।

देश की प्रचानीतम संस्कृति की धरोहर ये जनजातियां आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिये संघर्ष कर रही हैं। गौर तलब है कि इन जनजातियों का अपना एक गौरवमयी इतिहास भी है। इनमें वनगुजर एक ऐसी जनजाति है, जो मुख्य रूप से हिमालयों की चोटियों से मध्य एशिया के बर्फ़ानी व हिमाच्छादित पहाड़ो तक फैली हुई हैं। वनगूजर समुदाय मुख्यतः जम्मू व कश्मीर से भारत के शिवालिक व हिमालय पर्वतों में फैले हैं। इन्हें जम्मू वाले गूजर भी कहा जाता है । इस समुदाय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर ईराक, ईरान तक फैले होने के कारण इनकी अपनी एक अंतराष्ट्रीय पहचान भी है। इसी तरह से गद्दी समुदाय भी चीन, तिब्बत, बर्मा आदि तक फैले हुये हैं। इन समुदायों की एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है जिसे ये लोग सामुदायिक रूप से हजारों वर्षों से अपने अंदर संजोये हुये हैं। इन समुदायों का जीवन जंगल से ही है, बिना जंगल के ये ऐसे हैं जैसे जल बिन मछली। जहां–जहां इन समुदायों से इनके जंगल छीने गये हैं, वहां– वहां इन

समुदायों के साथ इनके साथ रहने वाले पशुओं, जंगली जानवरों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है और जैसे–जैसे जंगलों का अस्तित्व खतरे में आरहा है, इन समुदायों का जीवन भी खतरे में पड़ रहा है। आज़ादी के बाद लगातार जारी जंगलों के अंधाधुंध कटान, विकास के नाम पर बड़ी–बड़ी परियोजनाओं जैसे बांध, बिजली परियोजनाओं व सीमेंट प्लांट आदि की स्थापना के लिये जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। इससे समाज की मुख्यधारा से कटे हुये ये समुदाय इस समय गंभीर संकट से गुज़र रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क जहां का दौरा केन्द्रीय समिति द्वारा किया गया वहां के वन गूजर समुदाय ने बताया कि पार्क की सभी रेंजों खासतौर पर धौलखंड, घोलना आदि जहां–जहां से वनगूजरों को हटाया गया, वहां से हाथी व बाघ भी पलायन कर गये हैं। लेकिन जहां–जहां वनगुजर परिवार जैसे चिल्लावाली, गौढ़ी रेंज आदि में बसे हुये हैं, वहां पर अभी भी हाथियों के झुंड देखे जा सकते हैं। समिति के सदस्यों ने चिल्लावाली रेंज में नूर आलम के डेरे में अपने दौर के दौरान यह नजारा प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा जहां डेरे के बिल्कुल नज़दीक सांय 5 बजे हाथीयों के तीन बड़े बड़े झुंड वनगूजरों के द्वारा सुरक्षित किये गये पानी के स्रोतों पर पानी पीने जा रहे थे। वह काफी चित्त आकर्षक दृश्य था।

इसी तरह से आज़ादी के बाद से गद्दी, किन्नौरा व सिक्किम में भूटिया समुदायों का अस्तित्व भी खतरे में है। इन समुदायों की जीविका व संस्कृति में सबसे बड़ा रोड़ा भारत देश के पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्ध हैं। चीन, तिब्बत, भूटान व नेपाल के साथ राजनैतिक रूप से समस्या होने के कारण इन समुदायों के अधिकार भी गंभीर रूप से प्रभावित हुये हैं व इनके परम्परागत चरागाह क्षेत्रों में जाने से रोक लगा दी गयी है।

यायावर व पशुपालक समुदायों का जीवन व आजीविका मुख्यतः पशुपालन से ही जुड़ा हुआ है। इसमें चाहे वनगूजर भैंस पालते हों, या गद्दी व किन्नौरा भेड़ बकरी व भूटिया भेड़, याक पालते हों। इनकी दिनचर्या पशुओं के लिये चारा–घास जुटाने में ही व्यतीत होती है। पशुओं की वजह से यह लोग जंगलों व बड़े बड़े चरागाहों में ही अपना जीवन बिता देते हैं। वनगूजर और गददी समुदाय अपने माल मवेशियों के साथ हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले जाते हैं, जोकि धारें, बुग्याल या चरागाहें कहलाती हैं। इन चरागाहों पर यह लोग वनविभाग द्वारा ज़ारी किये गये परमिट के आधार पर कई दशकों से आ–जा रहे हैं। वहां पर यह अस्थाई डेरे बना कर रहते हैं। इस तरह से वर्ष के बारह महीने में से सात–आठ महीने ये लोग धारों पर ही निवास करते हैं। हि0प्र0 में यह समुदाय अनु0 क्षेत्र किन्नौर, लाहौल स्पीती व भरमौर में है व गैर अुन0 जिले चम्बा, कांगडा, ऊना, बिलासपुर, कुल्लु,मंडी, सिरमौर, सोलन व शिमला में पाये जाते हैं। उत्तराखंड़ में यह समुदाय यहां के समस्त जिलों में मौजूद हैं व उत्तरप्रदेश में जिला सहारनपुर, बिजनौर व नजीबाबाद में भी रहते हैं, इसी तरह सिक्किम में यह समुदाय समस्त वनक्षेत्र में मौजूद हैं।
यह भी एक तथ्य है कि यायावर समुदायों की जीवन शैली को मुख्यधारा के लोगों ने हमेशा निम्नस्तर के काम के रूप में ही देखा है और आज़ाद भारत की सरकारों ने भी कभी इन समुदायों को देश के अन्य नागरिकों की तरह सम्मान नहीं दिया और न ही किसी सरकार ने इनके विकास की बात को सोचा। इस समुदाय ने अपने बलबूते पर ही अपने अस्तित्व को आज तक बचा रखा है व अपने जिंदा रहने की लड़ाई लड रहे हैं। आज़ाद भारत में आज तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने इन जनजातियों को जंगल से बाहर खदेड़ने की ही बात की न ही ईमानदारी से बसाने की। वनाधिकार कानून में पहली बार इनकी जीवनशैली को महत्व देकर उसके आधार पर ही इनका विकास करने की बात की गयी है। इसलिये राजाजी पार्क के वनगूजर नूरआलम ने केन्द्रीय समिति के समक्ष यह कहा कि – ***हमको तो आज़ादी 15 दिसम्बर 2006 को मिली है, जब वनाधिकार कानून पास हुआ न कि 1947 में। क्योंकि उस समय पूरा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमें वनविभाग की गुलामी से मुक्ति नहीं मिली थी।***'

हांलाकि सिक्किम प्रदेश की स्थिति कुछ और है, यह प्रदेश पूरी तरह से वनाच्छिदत है जहां पर वनों में रहने वाले वाले व घुमन्तु प्रजातियों को पहले से बसाया जा चुका है। यह प्रदेश 1975 में भारत देश में सम्मिलित हुआ था। लेकिन अभी भी जो जनजातियां ऊपरी हिमालय में अपने मवेशीयों को लेकर गर्मीयों में चराने जाते हैं उनके अधिकारों को सिक्किम प्रदेश में भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। बल्कि ऐसे सैंकड़ों परिवारों को 2002 में बेदखल किया गया व उनके चरागाहों के अधिकार उनसे छीने गये।

वनाधिकार कानून में यायावर समुदाय से जुड़े प्रावधान

कानून की धारा 3(1)(घ) के अनुसार *' यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हक़दारी और पारम्पारिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार'।* इस के साथ ही इसी धारा की (ड) को भी पढ़ा जा सकता है *' वे अधिकार जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिये गृह और आवास की सामुदायिक भू–धृतियां भी हैं'।*

देखा जाये तो यायावर जनजातिय समुदाय आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। इसलिये उनके आवास का सवाल भी इन अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। कानून की प्रस्तावना में वनाश्रित समुदायों के साथ हुये ऐतिहासिक अन्यायों को भी स्वीकारा गया है व कहा गया है कि ''औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासीयों के प्रति **ऐतिहासिक अन्याय** हुआ है जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाये रखने के लिये अभिन्न अंग हैं''।

राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति

अनुसूचित जनजाति मंत्रालय की वेबसाईट में यायावर समुदायों के अधिकारों को सामुदायिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। इन आंकड़ों में कहीं भी यायावर समुदाय के सामुदायिक अधिकारों को अलग से नहीं दर्शाया गया है। वनों में पहले से समुदायों के विभिन्न तरह के अधिकार लिखित हैं, इसी वजह से वनाधिकार कानून की धारा 3(1) के तहत 13 तरह के व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। लेकिन मंत्रालय द्वारा सामुदायिक अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत सीमित आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

राज्य स्तर पर स्थिति

यायावर समुदायों के हक़–हकूक को निर्धारित करने के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर स्थिति काफी दयानीय है। राज्यवार भी इन समुदायों के सम्बन्ध में किसी वनाधिकार के तहत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही राज्यों ने यायावर समुदायों की जनसंख्या का आंकलन किया है। एक तरह से इन समुदाय के अस्तित्व को ही राज्य सरकारों ने नकार दिया है।

केन्द्रीय समिति द्वारा यायावर समुदाय के बारे में अवलोकन व विशलेषण

घुमन्तु समुदायों के बारे में जानकारी–

केन्द्रीय समिति द्वारा विभिन्न राज्यों में किये गये दौरे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व सिक्किम पांच राज्यों में यायावर समुदाय के लोगों ने जनसुनवाईयों में भाग लिया। वे इन जनसुनवाईयों में इसलिये भाग ले पाये चूंकि इन राज्यों में कई सामाजिक संगठन इन समुदायों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वरना सरकार, प्रशासन, जनजातीय विभाग या वनविभाग को तो इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि इन समुदायों के बारे में सरकारों के पास इस बात के ही सही आंकड़े नहीं हैं कि ऐसी जनजातियां कहीं अस्तित्व में हैं, सही गिनती के आंकड़े तो दूर की बात होगी। इसका जीता जागता उदाहरण हमें उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के राजाजी नेशनल पार्क में मिला, जहां रहने वाले वनगुज़र अपने परिवारों की सही सूची बनवाने के लिये पार्क प्रशासन के साथ पिछले दस वर्षो से संघर्ष कर रहे हैं। अपने परिवारों की सही संख्या को पुख्ता करने के लिये अंततः उन्हें उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। ऐसे में जब सरकारों को इन समुदायों की संख्या ही नहीं मालूम तो यायावर समुदायों को वनाधिकार कानून के तहत अपने संवैधानिक हक़ कैसे मिल पायेंगे। यायावर समुदायों का मामला जबकि सीधा जनजातीय कार्य विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विभाग के पास ही इन समुदायों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

1. अनुसूचित जनजाति के दर्जे से वंचित यायावर समुदाय

कुछ यायवरी समुदाय अभी भी अनुसूचित जनजाति के दर्जे से वंचित है। उत्तराखंड़ और उत्तरप्रदेश में वनगूजर समुदाय को अभी तक अनु0 जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि यह समुदाय हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में अनु0 जनजाति में दर्ज है। पीढ़ियों से रहने वाले इन समुदायों को अनु0 जनजाति का दर्जा न मिलने से 75 वर्ष का प्रावधान लागू होता है, जिसमें कई परिवारों को प्रमाण प्रस्तुत करने में दिक्कतें आ रही हैं चूंकि यह परिवार घुमन्तु जीवन ही व्यतीत करते रहे जिनके कभी भी स्थायी घर नहीं थे तो वे किस प्रकार से इन प्रमाणों को प्रस्तुत कर पायेगें।

2. यायावर समुदायों के वनाधिकार की व्याख्या

यायावर समुदायों के वनाधिकारों की बात तो कानून में कही गयी है, लेकिन इन अधिकारों की व्याख्या कानून में नहीं है। जिससे इनके अधिकारों को समझने में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को काफी दिक्कत आ रही है। गौरतलब है कि इन समुदायों के अधिकार एक ही जिले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके अधिकार मैदानी क्षेत्र की चरागाहों से लेकर ऊंचे क्षेत्रों की चरागाहों व राह में पड़ने वाले तमाम रास्तों व चारागाहों से सम्बन्धित सामुदायिक अधिकार हैं और यह अधिकार जिलों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एक से अधिक राज्यों और यहां तक कि राष्ट्रों तक इन अधिकारों का विस्तार है। इसलिये इन अधिकारों को सबसे पहले अभिलिखित करने की जरूरत है। यह अधिकार पूर्व में लिखे गये गजेटियर व वनविभाग की कार्ययोजनाओं में भी कुद हद तक अभिलिखित किये गये हैं, जिनका अध्ययन करके अभिलेख प्राप्त किये जा सकते हैं। लेकिन कई अधिकार तो विशेष अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

3. वनों व भूमि के प्रकार में बदलाव

यायावर समुदायों की जीवनशैली में सबसे बड़ा कुठाराघात सरकारी नीतियों ने किया है। जिनकी वजह से वनों व भूमि के इस्तेमाल करने में ऐसे बदलाव आये हैं, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो नुकसानदायक हैं ही, समाज के लिये भी नुकसान दायक साबित हो रहे है। जंगलों में खासतौर पर हिमालय के जंगलों में उपनिवेशिक ताकतों द्वारा आज़ादी से पहले रेल व व्यापार बढ़ाने के लिये अंधाधुंध कटान किया गया। आज़ादी के बाद सन् 1960 के आते–आते ठेकेदारी प्रथा के चलते वनों का दोहन, 70 और 80 के दशक में वनों व अन्य भूमियों का औद्योगिक ईकाईयों के विस्तार के लिये अधिग्रहण, आज़ादी के बाद वनों की व्यवस्था को सम्भालने के नाम पर वनविभाग द्वारा सार्वजनिक उपयोगों की भूमि का भारतीय वनअधिनियम 1927 के तहत गैर कानूनी रूप से अधिग्रहण व अतिक्रमण और इन समुदायों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले रास्तों में ग्रामीणों व अन्य प्रभावशाली तबकों द्वारा अतिक्रमण आदि ऐसे गंभीर मामले हैं, जिनकी वजह से यायावरी समुदायों के परम्परागत अधिकारों पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन जंगल उजाड़ने के दोषी यही समुदाय ठहराये गये। जबकि यह समुदाय जंगल बचाने व सीमा पर हो रहे पड़ोसी राज्यों के हमलों से बचाने के लिये हमेशा तत्पर रहे हैं। इन लोगों के जंगलों के भीतर मौजूद रहने से जंगल की चोरी व पोचिंग के काम में रोक ही लगती है। लेकिन इन्हें हमेशा शिकारी ही साबित किया जाता है, जबकि ये लोग अपने मवेशियों के साथ–साथ वन्य जीवों के साथ भी सामांजस्य बनाकर रहते हैं। गौर तलब है कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि मवेशी छोटे झाड़–झाड़ियों के जंगलों को ही चुगते हैं। हांलाकि कई जगह ओवर ग्रेज़िग से भी वनों के पनपने में समस्या बढ गयी है। लेकिन इन जंगलों को निम्न कोटि का जंगल माना गया व वनविभाग ने इन जंगलों को अपने अधीन कर, इन जंगलों में व्यसायिक वृक्षारोपण करके इन जंगलों के किस्म को ही बदल दिया। जिससे इन जंगलों में घास पैदा होना बंद हो गयी। जैसे शिवालिक के जंगलों में सागौन, मध्य हिमालय में चीड़ आदि का प्लांटेशन। लेकिन उलटे यायावर समुदायों के मवेशियों द्वारा की जा चराई को वनविभाग ने जंगलों के नष्ट होने का मुख्य कारण बताया। इन जंगलों को घास प्रजातियों के जंगलों के रूप में फिर से विकसित किये जाने की जरूरत है, ताकि यह मवेशियों के भी काम आ सकें व इनसे वन्य जन्तुओं को भी भरपूर भोजन मिल सके।

4. चरागाहों में खरपतवार का फैलाव होने से चरागाहों की किस्म में बदलाव

हरित क्रांति के दौर में ऐसे खरपतवारों जैसे लैंटाना, काग्रेंस घास आदि का फैलाव 6000 फीट से नीचे के चरागाहों में इतना फैल गया है कि ऐसे क्षेत्रों के चरागाह नष्ट हो गये हैं। इन चरागाहों में खरपतवार का ही फैलाव है जो कि चारे वाले पेड़ों को भी पनपने नहीं देती। इस दिशा में वनविभाग द्वारा किसी भी प्रकार के उपयोगी कदम नहीं उठाये गये।

5. वनाधिकार समितियों के गठन में दिक्कत

वनगूजरों, गददी व रायका समुदायों ने समिति के साथ हुयी बातचीत में बताया, कि उनको वनाधिकार कानून का लाभ किस तरह से मिलेगा, उन्हें इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जब वे अधिकारियों के पास जाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि वे लोग राजस्व ग्रामों में बनी एक ही समिति के साथ शामिल हो सकते हैं। चूंकि यायावर समुदाय मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुये, एक वर्ष में कई जगहों पर निवास करते हैं, इसलिये उनकी वनाधिकार समितियां कहां बनेंगी, इस बात को लेकर अधिकारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुयी है। जबकि यायावर समुदायों का कहना है कि उनकी समितियां दोनों जगहों पर होनी चाहिये। यानि जब वे अपने पशुओं के साथ गर्मियों में मध्य हिमालय में होते हैं तो वहां समिति का गठन होना चाहिये व जब वे सर्दियों में मैदानी इलाकों में रहते हैं, तब वहां उनकी अपनी समितियां बनाई जाये।

6. उत्तराखंड़ वनगूजरों की समिति का गठन – कुछ सकरात्मक पहल

उत्तराखण्ड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वनगूजर कल्याण समिति द्वारा लगातार किये गये प्रयास से यहां के वनगूजरों की अलग वनाधिकार समितियों का गठन रेंज के आधार पर किया गया है। यह निर्देश पूरे जिला हरिद्वार में पारित किया गया है। इस तरह से यहां के वनगूजरों की चिल्लावाली रेंज, गोढ़ी रेंज, कुनाऊ रेंज, रामगढ़ रेंज आदि में अलग समितियां गठन करके दावे भी पेश किये जा चुके हैं। इससे पहले यहां प्रशासन द्वारा वनगुजरों की समितियों को पास के ही गांव के साथ जोड़ कर गठित करने की कोशिश की गई। वनगूजरों द्वारा इसका विरोध किया गया। क्योंकि वनगूजर हमेशा जंगलों में ही रहते चले आये हैं, न तो आज तक वे किसी ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं और न ही उनके रिहाइशी इलाकों को कभी राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। उनके वनों के उपयोग के तरीके राजस्व ग्राम के ग्रामीणों के हक़ हकूक से भिन्न हैं। इनके लघुवनोपज पर अलग तरह के हक हैं, जोकि हैं तो सामुदायिक ही, लेकिन उनकी किस्म अलग है, जिसमें चराई का अधिकार प्रमुख रूप से शामिल है।
वनगूजरों को राजस्व गांवों के साथ बनायी गयी समितियों में शामिल होने में यह आपत्ति थी कि ग्राम पंचायतों पर अन्य समुदायों का वर्चस्व होने के कारण व ग्राम पंचायत में कई गांवों के शामिल होने से वनगूजरों के मुद्दों की अनदेखी हो सकती थी। इसके अलावा इन ग्राम पंचायतों वाले गॉवों से वनगुजरों के डेरों की दूरी 10 से 15 कि0मी होने की वजह से भी वनगूजर समुदाय के लोगों ने अपने लिये अलग समितियों की मांग की।

6.1 दावों की स्थिति

राज्य	वनक्षेत्र का नाम	रेंज	दावे के न0
उत्तराखंड़ जिला हरिद्वार	राजाजी नेशनल पार्क	चिल्लावाली	485
	– वही–	रामगढ़	274
	–वही–	गौढ़ी रेंज	अभी वनाधिकार समिति नहीं बनी है। दावे जमा नही किये गये
खानपुर जिला हरिद्वार	सामाजिक वानिकी	खानपुर	233
गेंडी खाता जिला हरिद्वार	–वही–		480
पथरी, हरिद्वार	–वही–	पथरी	711 दावे अनुमोदित कर समाज कल्याण विभाग के पास जमा

उत्तरप्रदेश में यायावर समुदाय के दावा प्रस्तुतिकरण की स्थिति

जिला सहारनपुर	वनक्षेत्र	रेंज	दावों के न0
	सामाजिक वानिकी व आरक्षित वन	मोहण्ड रेंज	मोहण्ड, शाकुम्बरी व बड़कला तीनों रेंज के 550 दावे भरे जा चुके हैं
	–वही–	शाकुम्बरी रेंज	
	–वही–	बड़कला रेंज	

नोट :

1. **अभी तक एक भी परिवार को अधिकार पत्र नहीं प्राप्त हुये हैं।**
2. **उत्तरप्रदेश में इन समुदाय को पास के ही राजस्व गांव की वनाधिकार समिति के साथ जोड़ा गया है। यहां पर इनकी अलग समितियां नहीं बनाई गई हैं।**

3.इन सभी जगहों पर वनगूजर समुदाय ने व्यक्तिगत व सामुदायिक दोनों प्रकार के दावों को पेश किया है।

6.2 सामुदायिक दावे

जिला हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के वनगूजर भूमिहीन हैं व जंगल में चराई के लिये अपने मवेशियों को ले जाने पर वनविभाग द्वारा काफी रोक–टोक लगायी जाती है। यहां पर वनाधिकार समिति द्वारा 8 है0 के जंगल का दावा किया गया है। चिल्लावाली रेंज राजाजी नेशनल पार्क में सामुदायिक दावों में जड़ी बूटी का हक़, परमिट का हक, जंगल के अंदर जाने का हक़, छप्पर बनाने के लिये फूस, जलावन की लकड़ी, रेता, पत्थर, चराई के लिये 50 से 100 है0 तक जंगल के अधिकार शामिल हैं। सामुदायिक दावे चिल्लवाली, रामगढ़, गेंड़ी खत्ता, खानपुर, पथरी में किये गये हैं।
इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अंतरा एवं याकशी संगठनों ने पशुपालक समुदाय के दावे करवाने में उनकी काफी मदद की है। व कच्छ में मालधारी एवं गीर गुजरात में यह प्रक्रीया अभी भी शुरू ही नहीं हुई है। वहां पर बन्नी चरागाह है जिस पर समुदाय पूरा दावा कर सकते है लेकिन उन्हें वनाधिकार कानून के प्रावधानों के बारे में मालूम नहीं है।

7.हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र में बसे हुये यायावर समुदायों का वनाधिकार कानून के अधिकारों से वंचित होना

हिमाचल प्रदेश में यायावर समुदायों की स्थिति काफी दयानीय है। इस प्रदेश में वनगूजर व गददी समुदाय अनु0 जनजाति में घोषित ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें वनाधिकार कानून के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हि0प्र0 में यह कानून गैर अनु0 क्षेत्र में लागू ही नहीं है। केन्द्रीय समिति के समक्ष हजारों की संख्या में आवेदन दिये गये, जिनमें उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किये हैं कि वे यहां कई पीढ़ियों से निवास करते चले आ रहे हैं। यहां इन समुदायों की सबसे प्रमुख मांग यह थी कि इस कानून को गैर अुन0 जिलों में जल्द से जल्द लागू किया जाये। जहां तक अनु0 क्षेत्रों का प्रश्न है, जिला किन्नौर में हुये जनविमर्श में इन यायावर समुदाय ने बताया कि उनके दावे वनाधिकार समितियों द्वारा स्वीकृत ही नहीं किये गये हैं। चूंकि उनका कोई स्थाई निवास नहीं है और उनसे अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनके दावे स्वीकृत नहीं होगें व **इन समुदायों को वनाश्रित समुदायों की संज्ञा ही नहीं दी जा रही।**

7.1 सिक्किम प्रदेश में यायावर समुदाय की समस्यायें

सिक्किम में राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश में रह रहे चार जिलों में सभी अनु0 जनजाति व गैर अनु0 जातियों के भूमि अधिकारों को सन् 1952 में व बाद में 1979–1983 में किये गये सर्वे के आधार पर उनके अधिकारों को र्निधारित किया जा चुका है। जिसमें कई समुदायों द्वारा गोचरन व खासमाल (ऐसे सार्वजनिक वन क्षेत्र जहां से रोज़मर्रा की जरूरतें

पूरी की जाती हैं) की भूमि भी शामिल है। लेकिन समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके वनों के सामुदायिक परम्परिक अधिकार हैं व भूटिया चरवाहों के चरागाह पर जाने के परमिट को खत्म कर दिया गया है। यायावर समुदायों व चरवाहो के इन अधिकारों को वनाधिकार कानून के तहत पुर्नस्थापित किये जाने की जरूरत है।

8.पुनर्वास योजनायें

यायावर समुदायों के लिये सबसे महत्वपूर्ण सवाल पुनर्वास का है। जिसको अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। देखा जाये तो यह समुदाय आज़ाद भारत में अपने बलबूते पर ही जिन्दा हैं। हि0प्र0 गुज्जर कल्याण सभा ने अपने आवेदन में बताया कि हि0प्र0 में 31 दिसम्बर 2005 तक सभी भूमिहीन गुजर परिवारों को 5 बीघा भूमि आंवटित करने के आदेश ज़ारी किये गये थे। लेकिन अभी तक इन परिवारों को पुनर्वासित नहीं किया गया है। इसी तरह से उत्तराखण्ड राजाजी नेशनल पार्क में पूर्व में केवल 512 परिवारों के पुराने परमिट के आधार पर जिला हरिद्वार में पथरी में उन्हें पुनर्वासित किया गया, लेकिन उनके बढ़े हुये परिवारों की गिनती करने में वनविभाग ने काफी धांधली की। नूरआलम के अनुसार उनके 1390 परिवार हैं, जिनको पुनर्वासित किया जाना है, लेकिन वनविभाग ने गलत सूची बना कर कई परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखल कर दिया। इस मामले में वनगूजर कल्याण समिति ने नैनीताल उच्च न्यायालय की शरण ली। (उच्च न्यायालय की कापी संलग्न है)जिसमें फैसला वनगूजरों के पक्ष में हुआ और न्यायालय ने राज्य सरकार के लिये वनाधिकार कानून के तहत इन परिवारों को बसाने के निर्देश दिये।
जबकि जिन 512 परिवारों को पथरी में बसाया गया आज तक उन्हें भौमिक अधिकार नहीं दिये गये हैं। उस भूमि का दर्जा अभी तक वनभूमि का ही है। इन परिवारों ने जब वनाधिकार कानून के तहत अपने दावों को पेश करने के लिये मांग की तो वनविभाग व जिला प्रशासन ने इनको दावे भरने का पात्र नहीं माना।

पुर्नवास योजनायें कभी भी इन यायावर समुदायों के सलाह से नहीं बनाई जा रही है व हि0प्र0, उ0प्र0 व उत्तराखंड़ के वनगूजरों, गद्दी, रायका व देश में अन्य यायावर समुदायों को बसाने की कोई ठोस योजना सरकार ने नहीं बनाई है। यह समुदाय मुख्यतः वनों के आसपास ही बसना चाहते हैं, क्योंकि अगर यह पशुपालन नहीं करेगें तो यह जनजातियां जिन्दा नहीं रह पायेंगी। इन समुदायों के पुर्नवास वनविभाग के माध्यम से न हो कर इनके विकास के लिये एक विशेष कमेटी का गठन कर इन समुदायों को बसाया जाना चाहिये।

8.1 गददी समुदाय

गद्दी समुदाय द्वारा केन्द्रीय कमेटी को बहुत ही कम आवेदन दिये गये, लेकिन हिमाचल व उत्तराखण्ड में उनके सदस्यों द्वारा उनकी कई समस्यायें उठाई गईं। वनगूजरों की तुलना में गददी समुदाय अधिक स्थाई हो चुके यायावरी समुदाय हैं। इनके आवास भी अधिकांशतः ऐसे गांवों में हैं, जहां इन्हें अन्य प्रकार की विकास सम्बन्धी सुविधायें भी उपलब्ध हैं। इन समुदायों के परिवारों का कोई एक सदस्य अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चरागाहों में चला जाता है। इनकी जीवनशैली में भी वनगूजरों की जीवनशैली से काफ़ी अन्तर है। वनगुजरों को इनके मुकाबले बहुत ही कम जगह पर बसाया गया है और इनके अधिकांश परिवार अभी भी जंगलों में निवास करते हैं और वनगूजरों की तुलना में गद्दी समुदाय में शिक्षा प्रसार भी अच्छा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या इस समुदाय के चरागाहों पर अधिकार की है जिसे समाप्त किया जा रहा है।

9.वनविभाग द्वारा उत्पीड़न

यायावर समुदायों द्वारा दिये गये बयानों से यह स्पष्ट हुआ है कि वनविभाग द्वारा इन समुदायों का घोर उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर अब वनाधिकार कानून के तहत भी इन्हें वनों में रहने व वनों को उपयोग करने का अधिकार नहीं मिला तो यह उत्पीड़न बादस्तूर ज़ारी रहेगा। वनगूजरों के संदर्भ में यह बात चारों राज्यों से आई कि हिमालय में ऊंचे चरागाहों में जाने के लिये वनविभाग द्वारा परमिट ज़ारी किया जाता है, जो कि प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। जिसके बदले में विभाग परमिट धारक से सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व की राशि वसूल करता है, जो कि परमिट पर दर्ज पशुओं की संख्या के आधार पर तय होती है। लेकिन वनविभाग के कर्मचारी सरकार द्वारा तय किये गये राजस्व की आड़ में इनसे कई गुना अधिक कीमत का घी व खोया वसूला जाता है, जो प्रति परिवार पांच किलोग्राम से लेकर दस–बारह कि0 तक होता है।

जिस परविार के पास घी व खोया न हो उससे इनकी कीमत के बराबर धनराशि मांगी जाती है, जो कि हजारों में होती है। समुदाय के कई गरीब व्यक्ति उक्त राशि को अदा नहीं कर पाते हैं और यह राशि हर साल दो–तीन गुणा बढ़ जाती है। यही कारण हैं कि इन परिवारों को अपने लिये हर वर्ष परमिट हासिल करना टेड़ी खीर साबित होता है। जिससे ये अपने हकों से वंचित होजाने के कारण कई बार अपनी आजिविका तक से महरूम रह जाते हैं।

जिला हरिद्वार, उत्तराखंड़ के चिल्लावाली रेंज में राजाजी पार्क प्रशासन द्वारा अंजाम दी गयीं उत्पीड़न की अनेकों घटनाओं को यहां के वनगूजरों द्वारा बयान किया गया। पशुओं के लिये चारा, खल, चोकर लेजाने पर रोक, भैसों को कई बार रेंज कार्यालय में बंद करना, पिछले वर्ष व इस वर्ष ग्रीष्म कालीन के समय गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी में रोक लगाने से सैंकड़ों भैंसों की मौत होने की घटनायें इनमें प्रमुख रूप से शामिल थीं।

इसी तरह से राजाजी नेशनल पार्क की धौलखंड़, घोलना व रामगढ़ रेंज के 119 वनगुजर परिवारों ने केन्द्रीय समिति के सामने बयान दिया कि 17–18 व 20 अक्टूबर 2010 को इन परिवारों को वनविभाग द्वारा पार्क क्षेत्र से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। जबकि जनवरी 2008 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था, कि इन परिवारों को वनाधिकार कानून के तहत बसाया जाये।

यहां तक कि सिक्किम राज्य में भी सन् 2002 में भूटिया समुदायों द्वारा बनाये गये उपरी चरागाहों में घरों को उजाड़ा गया। यह समस्या बुलबले व 24 मारतम क्षेत्र में सामने आई।
इसी तरह से देश में काफी पार्को इन समुदायों की आवाजाही में रोक लगाई गई है। जैसे राजस्थान में रायका में और नीलगिरी में पोडा समुदाय को रोका गया।

यूपी के वनगूजरो के उत्पीड़ का केस–

केन्द्रीय समिति द्वारा यहां किये गये दौरे के दौरान ही उ0प्र0 के वनगुजरों को उत्तराखण्ड के हिमालय क्षेत्र में जाने से रोका गया व पार्क निदेशक राजाजी द्वारा इस समुदाय के लिये साम्प्रदायिक भाषा का उपयोग करते हुये समाचार पत्रों के माध्यम से कई विज्ञप्तियां जारी की गयीं कि उत्तर प्रदेश के वनगूजरों को उत्तराखण्ड में न आने दिया जाये। जिसे संज्ञान में लेते हुये केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री एन0सी0सक्सेना द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखकर पार्क निदेशक राजाजी नेशनल पार्क द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से संबन्धित जवाब मांगा है। इस पत्र का जबाब निदेश श्री एस.एस रसेली द्वारा दिया गया लेकिन जवाब अंसतुष्ट पाये जाने पर कमेटी के सदस्यों व वनगूजर समुदाय के साथ काम करने वाले संगठन आर.एल.ई.के के संयोजक परवीन कौशल ने फिर से इस सम्बन्ध में भारत सरकार व केन्द्रीय कमेटी को पत्र भेजा है।

सामाजिक संगठनों की भूमिका

इन सभी क्षेत्रों से जो रिपोर्ट मिली उस से यह तथ्य सामने आया कि घुमन्तु समुदाय व चरवाहों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है। जहां जहां यह संगठन सक्रीय हैं वहीं से घुमन्तु समुदाय के प्रस्तुतिकरण हो पाये। यह विभिन्न सामाजिक संगठन इन सभी प्रदेशों में काफी सक्रीय रूप से कार्य कर रहे हैं जिनमें से प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में यक्शी, अंतरा राजस्थान में जंगल जमींन आंदोलन और लोक पशु संवर्धन समिति, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नीति अभियान, गुजर कल्याण समिति, उत्तराखंड़ए माहराष्ट में अंतरा व उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच। लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सामाजिक संगठनों की पहुंच नहीं है इसलिये इन समुदायों के विषय में सरकार को काफी काम करना होगा।

प्रस्ताव

1. यायावर समुदाय की विशिष्ट जीवनशैली, वनों के साथ इनके प्राकृतिक सम्बन्धों, व वनों पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे उनके पारंपरिक अधिकारों को अभी तक किसी भी दस्तावेज़ में अभिलिखित नहीं किया गया है। देश में यायावर समुदायों की अलग–अलग जितनी भी जनजातियां हैं, उन्हें चिन्हित करके सूचिबद्ध किया जाये व उनके वनाधिकार व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकारों दोनों को अभिलिखित किया जाना चाहिये।
2. चूंकि देश में अभी भी कई यायावर समुदाय घुमन्तु जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे वनगूजर, गद्दी, रायका, भूटिया जिनका घुमन्तु जीवन कई जिलों से लेकर राज्यों तक फैला हुआ है, इसलिये उनके वनाधिकारों का दायरा एक ही जिले व राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता। दूसरे इनके अधिकारों को विभिन्न राज्यों व जिलों में आने वाले चरागाहों को ग्राम सभाओं के अंतर्गत भी निर्धारित करने में दिक्कत है। क्योंकि अगर चरागाहों पर वहां की ग्राम सभा के अधिकार निर्धारित हो जाते हैं, तो इनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिलेगी, जिससे ये समुदाय अपने अधिकारों से एकबार फिर वंचित हो जायेंगे। इसलिये यायावर समुदायों के व्यापक अधिकारों को निर्धारित करने के लिये इसी समुदाय की एक कमेटी गठित की जानी चाहिये जो कि कई राज्यों की संयुक्त कमेटी होनी चाहिये जिससे कि इनके अधिकारों को निर्धारित किया जा सके। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर पर एक समिति गठित कर या इन समुदायों के साथ जनविमर्श कर सुझावों को आमंत्रित किया जाना चाहिये। जिसमें विभिन्न जिलों और राज्यों में ग्राम सभा के साथ किस प्रकार का जुडाव होगा यह तय किया जा सके।
3. घुमन्तु समुदाय के लिये 75 वर्ष के पैमाना नहीं होना चाहिये, जहां यह समुदाय अनु0 जनजाति में घोषित नहीं है वहां पर विशेष सेल गठित कर इन समुदायों के वनाधिकारों को तत्काल बहाल किया जाना चाहिये।

4. अभी तक यायावर समुदायों को चराई के लिये प्रत्येक वर्ष वनविभाग द्वारा ही परमिट ज़ारी किये जाते रहे हैं। लेकिन अब यह परमिट वनाधिकार कानून के तहत इनके द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा ज़ारी किये जाने चाहियें। इन अधिकारों की मानीटरिंग जिला स्तरीय समिति एवं राज्य निगरानी समिति द्वारा की जानी चाहिये।

5. इस समुदाय के लोगों पर वनविभाग द्वारा आये दिन जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसपर तत्काल रोक लगनी चाहिये। किसी भी तरह से किये गये उत्पीड़न की घटना की सख्ती से जांच की जानी चाहिये। तथा वनाधिकार कानून की धारा 4(5) के प्रावधान के अनुसार वनाधिकार कानून की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक बेदखली करना गैरकानूनी है को लागू किया जाना चाहिये।

6. अभी तक इन समुदायों के लिये विकास से जुड़ी खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ, स्थाई आवास, पेयजल आदि की सुविधायें मुहैया नहीं कराई गई हैं, जिनको कि वनाधिकार कानून के तहत प्राथमिक स्तर पर मुहैया कराया जाना चाहिये। साथ ही यायावर समुदायों की पुनर्वास योजनायें उन्हीं की सहमति व सुझावों के अनुरूप बनाई जानी चाहियें, जो कि वनों के आस पास ही हों व जहां उनके पशुओं को आसानी से चरागाह व चारा उपलब्ध हो सकें। इन पुर्नवास योजनाओं को एक विशेष कमेटी गठित कर बनाया जाना चाहिये न कि वनविभाग द्वारा।
7. समिति के समक्ष यायावर समुदायों की बिना किसी समुचित विकास के की गयी बेदखली के काफी मामले सामने आये हैं। ऐसे मामलों में यथाशीघ्र उनके पुनर्वास की योजना वनाधिकार कानून के तहत बनाई जानी चाहिये व उनके तमाम अधिकारों को वनाधिकार के तहत बहाल करते हुये उनके दावों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिये।
8. चूंकि वनाधिकार कानून को लागू कराने की नोडल ऐजेंसी जनजाति मंत्रालय व जनजाति विभाग को बनाया गया है, इसलिये इस विभाग द्वारा यायावर समुदायों को दावाफार्म भरने व अन्य कानूनी प्रशिक्षण देने तथा उनके परिवारों को सूचिबद्ध करने में हर प्रकार की मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिये। अभी तक यह विभाग इस कानून को इन समुदायों के हित में लागू करने में असमर्थ ही दिखाई दे रहा है। इस कानून को लागू करने के लिये राज्यों व जिलों में अतिरिक्त स्टाफ को तैनात किया जाना चाहिये व उन्हें इन समुदायों की विशिष्ट जीवनशैली के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
9. यायावर व पशुपालक समुदायों के वनाधिकारों को लेकर वनविभाग द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिये। जैसे वनविभाग द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि घुमन्तु जातियां इस कानून के दायरे से बाहर हैं, यह कानून राष्ट्रीय पार्क में लागू नहीं है आदि।

10. पिछले पांच दशकों में जंगलों के अंदर किये गये व्यवसायिक वृक्षारोपण के कारण चारागाहों के लिये उपयुक्त रहे छोटे झाड़ वाले जंगल जोकि एकप्रजातीय वनों में बदले गये हैं, उनपर पुनः विचार किया जाना चाहिये। घास प्रजातीय वनों को फिर से पनपाने के लिये वनाधिकार कानून के तहत वनों के संरक्षण व व्यवस्था में यायावर समुदायों का सहयोग लेकर पुनर्जीवित किया जाना चाहिये। क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के लिये भी घास प्रजातीय वनों की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसी भी तरह के व्यवसायिक वृक्षारोपण पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिये।
11. वनों व वन्य जीवों खासतौर के संरक्षण, व्यवस्थापन व देखरेख में इन समुदायों की सहभागिता को सुनिशिचित किया जाना चाहिये व वनाधिकार कानून के तहत कमेटीयों का गठन कर स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि उच्च स्तर पर विभिन्न कमेटीयों में इस समुदाय के प्रतिनिधि को शामिल किया जाये।
12. यायावर समुदाय में से ऐसे कई समुदाय हैं जो अभी भी यायावरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिये मोबाईल स्वास्थ व शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
13. हिमालय पर्वतों में सबसे बड़े घुमन्तु समुदाय के रूप में वनगूजरों की संख्या है जिनका फैलाव शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर हिमालय व मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ है। देश में यहीं एक जनजातिय समुदाय है जो अल्पसंख्यक है व मुस्लिम धर्म को मानता है। इस समुदाय के प्रति वनविभाग द्वारा साम्प्रदायिक भावना रखी जाती है इसलिये इस समुदाय से जुड़ा हुये मुददें अतिसंवेदनशील हैं जिन्हें राज्य व केन्द्र सरकार को गंभीरता से लेते हुये इनके विकास की योजनायें बनाई जानी चाहिये। इसी तरह से देश में अन्य पशुपालक समुदाय है जिसके प्रति मैदानी क्षेत्रों में जातिगत दुर्भावनायें रखी जाती है जिसे भी दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि वनाधिकार कानून इन समुदाय को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मानता है जिन्हें बचाना वनों के बचाने के साथ साथ अनिवार्य है।
14. जिस तरह से जम्मू व कश्मीर में वनगूजरों के विकास से सम्बिन्धित तमाम विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान व शिक्षा संस्थान बने है उसी तरह से जिन प्रदेशों में वनगूजर हैं व अन्य घुमन्तु समुदाय हैं उनके लिये भी इन संस्थानों का र्निमाण किया जाये। व इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ तालमेल किया जाये एवं वहां भी वनाधिकार कानून को विधान सभा में लागू करने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया जाये।
15. वनाधिकार कानून लागू हुये लगभग तीन वर्ष होने को जा रहे हैं लेकिन एक भी घुमन्तु परिवार के सदस्य को भूमि, आवास व वनों में सामुदायिक अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं यह एक बेहद ही चिन्ता का विषय है। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बार फिर इन समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्यायों की पुर्नरावृति की जा रही है। इस तथ्य को केन्द्र सरकार द्वारा काफी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये व इन समुदायों के अधिकारों को प्राथमिक तौर पर सुनिशिचित कराया जाना चाहिये।

List of Annexures

a. **Memorandum of Bhartiya Kisan Sabha, Himachal Pradesh**
b. **Eviction of van gujjar dera of Jahoor Hasan, Distt Haridwar, Uttarakhand.**
c. **Eviction – Noorjamal, Distt Haridwar, Uttarakhand**
d. **HC order Nainital, Uttarakhand in favour of Nomadic tribes**.

––

Bharatiya Kisan Sabha (Baijnath Chapter)

Village Nagan, PO Kharanal, Via Paprola, Tehsil Baijnath, Dist. Kangra, Himachal Pradesh.
Tel : 9418008357

The Chairperson,

National Joint Committee on Forest Rights Act,

Ministry of Environment and Forests,

New Delhi.

Dear Sir,

I represent the people of the Baijnath area in the Zilla Parishad of Kangra District. The people of this area are predominantly dependent upon the local natural resources for their survival needs and grazing in grasslands happens to one of the biggest of such dependences. Grazing in the area is of two types : one, by the migratory goat-sheep herders and the other by local villagers. While the grazing by local people is confined to the local pastures (near the villages and high altitude), the route of the migratory herders who visit our area while seasonally traversing the Himalayan ranges during their journey from summer resting grounds to the wintering grounds, for which permits are issued by the Forest Department, is as follows:

a. Summer resting in Lahaul tribal area	June, July, August, September
b. Transit through Bharmour tribal area (Chamba district) or Bara Bhangal area (Baijnath tehsil, Kangra district)	May, June while going upwards and September, October while going downwards
c. Transit through Baijnath/Paprola/Chota Bhangal area (all situated in Baijnath Tehsil, Kangra District)	April, May (Upward journey) October, November (Downward journey)
d. Winter resting in lower reaches of Kangra and other districts of HP, and Punjab	November, December, January, February, March

In this context of grazing, we would like to bring to your notice the following facts:

i. That the grazier community is not comprised of just the Gujjars and the Gaddis, as the common belief is. These also include Sippis (सिप्पी), Haadis (हाड़ी), Dhogaris (धोगरी)who are included in the Scheduled Castes but not Scheduled Tribes. Gujjars and Gaddis belong to Scheduled Tribes.

ii. The plight of the grazier community, migratory or otherwise, has been deteriorating due to many factors :
    a. Plantations, especially of conifers, done over grasslands during the past four decades
    b. Notification of grasslands and forests as Reserved Forests and DPFs
    c. Diversion of forest areas for developmental projects
    d. Encroachment over grasslands/common lands by local people
    e. Invasion of grasslands by obnoxious, exotic weeds
    f. Harassment at the hands of the Forest Department staff.

(1/2)

gujjar dera after eviction in 2008 jahoor hasan – Gholna, Rajaji National Park

Demolished dera of Noorjamal in 2008 dholkhand range Rajaji national park

Vangujjar women

Sri Gopal Narain,
Advocate

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट, नैनीताल

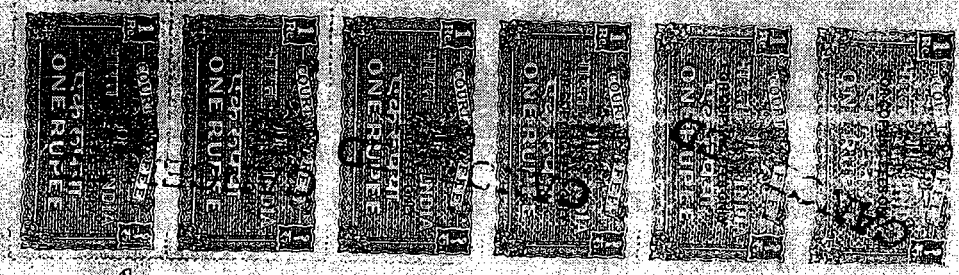

36 CFS-36 Rs

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की दि० Date on which appilication is made for copy accompanied by the requisity stamp	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की ता० .... Date of Posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की ता० .... Date of delivery of Copy	नकल वापस देने वाले अधिकारी के ह० Signature of Officer delivering copy
21-06-2007	[illegible]	26.06.07	26-06-07

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

W.P. No. 275 of 2006 (M/B).

Ban Gujjar Kalyan Samiti Vs. State of Uttaranchal and anr.

Copy of order dated 20/06/2007 is enclosed.

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
Writ Petition No. 275 of 2006 (M/B)

Ban Gujjar Kalyan Samiti,
Through its Member Noor Alam S/o Haji Abdulah,
Pradhan, Chile Wali Range,
Raja Ji National Park,
Dehradun. ..... Petitioner

Versus

1. State of Uttaranchal,
through Secretary, Forest,
Dehradun.
2. Director, Raja Ji National Park,
Dehradun. ..... Respondents

Mr. L.P. Naithani, Advocate General with Mr. Lalit Sharma, Brief Holder for the respondents.
Mr. Gopal Narain, Advocate for the petitioner.
Mr. M.C. Kandpal, Senior Counsel with Mr. S.S. Chaudhary, Advocate for the proposed intervener.

JUDGMENT
Coram: Hon'ble Rajeev Gupta, C.J.
Hon'ble J.C.S. Rawat, J.

RAJEEV GUPTA, C.J. (Oral)

Mr. L.P. Naithani, Advocate General with Mr. Lalit Sharma, Brief Holder for the respondents.

Mr. Gopal Narain, Advocate for the petitioner.

Mr. M.C. Kandpal, Senior Counsel with Mr. S.S. Chaudhary, Advocate for the proposed intervener.

2. On due consideration, CLMA No. 1590 of 2007 is allowed and Muslim Gujar Tribal Welfare Committee is allowed to intervene in the matter.

3. They are heard on CLMA No. 1594 of 2007 – a petition for grant of permission to the petitioner to file representation in the light of the newly enacted Act, namely, The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 and a direction to respondent No. 2 to consider the petitioner's representation afresh.

4. The petitioner has filed the writ petition for the following reliefs:

i) A writ, order, rule or direction in the nature of certiorari quashing the order dated 7-12-2005 (Annexure No. 5) passed by respondent No. 2 and the

respondent No. 2 may be directed to include the names of the left out Ban Gujjar in the list prepared for rehabilitation of the Ban Gujjar residing in Raja Ji National Park, Dehradun.

ii) A writ, order, rule or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case.

iii) Award the cost of the petition to the petitioner."

5. On due consideration, we are of the opinion that the claim of the petitioner Society and intervener as considered afresh by the concerned authorities in the context of the provisions of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

6. Therefore, CLMS No. 1594 of 2007 is allowed and the respondents are directed to consider the petitioner's and intervener's representations, to be submitted by them within four weeks from today in accordance with the provisions of the above Act. within a further period of four months after giving reasonable opportunity to all concerned in accordance with the provisions of the above Act.

7. It goes without saying that if the petitioner and intervener are not satisfied with the order to be passed on their representations, the petitioner and intervener shall be free to avail the remedies available to them under the provisions of the above Act.

8. With the above direction, the writ petition stands disposed of.

9. With the above order, CLMAs Nos. 2818 of 2006, 6745 of 2006 and 875 of 2007 also stand disposed of.

(J.C.S Rawat, J.)

20.06.2007

(Rajeev Gupta, C.J)

20.06.2007

PHOTOSTAT TRUE-COPY
Signed by
Section Offier
(Copying Section)
High Court of Uttarakhand
Nainital.